(1)

संख्या– 1532 / 41–11–25 यो0 / 11–टी0सी0–2

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर, 2011

विषय– वर्ष 2011–12 में जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–253 / 7–1–1(जि0 यो0) / 2011–12 दिनांक 23–05–2011, पत्र संख्या–254 / 7–1–1 (जि0 यो0) / 2011–12 दिनांक 23–05–2011, संख्या–269 / 7–1–1(जि0 यो0) / 2011–12 दिनांक 25–05– 2011, सं0 – 348 / 7 – 1 – 1 (जि0 यो0) / 2011 – 12, दिनांक 07 – 06 – 2011, सं0 – 329 / 7 – 1 – 1 (जि0 यो0) / 2011 – 12, दिनांक 06 – 06 – 2011, सं0 – 3570 / 7 – 1 – 1 (जि0 यो0) / 2011 – 12, दिनांक 06 – 07 – 2011, सं0 – 516 / 7 – 1 – 1 (जि0 यो0) / 2011 – 12, दिनांक 11 – 07 – 2011, सं0 – 538 / 7 – 1 – 1 (जि0 यो0) / 2011 – 12, दिनांक 15 – 07 – 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास की निम्नलिखित योजनाओं के लिए श्री राज्यपाल महोदय आगणनों के सापेक्ष कुल रू0 73,12,000.00 (**रू0 तिहत्तर लाख बारह हजार मात्र**) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	जनपद	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	आगणन की धनराशि (रू0 लाख में)
1.	अलीगढ़	खेरेश्वरधाम अलीगढ़ में मंच सामने टीन शेड का निर्माण	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण नि0 अलीगढ	19.76
2	महामाया नगर	श्री दाऊ जी मन्दिर के पर्यटन विकास हेतु साईनेज का निर्माण	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण नि0 अलीगढ	10.00
3.	प्रतापगढ़	जनपद प्रतापगढ़ स्थित माँ चौहरजन देवी (बाराही माँ) सई नदी के किनारे स्थित दरबार का सौन्दर्यीकरण तथा नदी के किनारे दरबार तथा सीढ़ी / यात्री शेड का निर्माण।	सी0एण्ड डी0एस0 यू0पी0 जल निगम यूनिट–10 इलाहाबाद	9.79
4.	प्रतापगढ़	पाण्डेय तारा भोले शंकर का पर्यटन विकास। रानीगंज प्रतापगढ़	सी0एण्ड डी0एस0 यू0पी0 जल निगम महोबा यूनिट–48	5.00

5.	प्रतापगढ़	राधेकृष्ण स्थल का पर्यटन विकास। रानीगंज प्रतापगढ़	सी0एण्ड डी0एस0 यू0पी0 जल निगम महोबा यूनिट–53	5.00
6.	महोबा	रामकुण्ड महोबा का पर्यटन विकास	सी0एण्ड डी0एस0 यू0पी0 जल निगम महोबा यूनिट–48	9.96
7.	सुल्तानपुर	संत शिरोमणी गुरू रविदास आश्रम गोमती नगर गोलाघाट का पर्यटन विकास	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम सुल्तानपुर	4.81
8.	सुल्तानपुर	चन्द्रिका देवी (चण्डी भवानी) गुप्तारगंज का पर्यटन विकास	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम सुल्तानपुर	3.80
9.	सुल्तानपुर	शिवबाबा मन्दिर ग्राम वेदपारा वि0ख0 लम्भुआ का पर्यटन विकास	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण नि0 सुल्तानपुर	5.00
			योग	73.12

2— अनुमोदित आगणन के अन्तर्गत निहित कार्यो पर ही व्यय किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/कार्य में नहीं किया जायेगा और प्रश्नगत जिलों में स्वीकृत योजनाओं हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि जनपदों को आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत तथा जिला अनुश्रवण समिति से अनुमोदनोपरान्त ही सुनिश्चित करके आहरित कर व्यय की जायेगी।

3— आगणन के स्वरूप एवं कार्यदायी संस्था में बिना शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्यदायी संस्था शासन द्वारा अनुमोदित है और विभागीय कार्यो को करने में सक्षम है। कार्य राजकीय निर्माण एजेन्सियों से ही कराया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या–ई–8–1210/दस–2008 दिनांक 04–04–2008 के प्रस्तर–1(2) के अनुरूप कार्य से सम्बन्धित आगणनों का अधिकृत विभाग के न्यूनतम अधिशासी अभियंता से परीक्षणोपरानत प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया गया है।

4— कोई भी निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुमोदित कार्य के लिए निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर आधारित विस्तृत ऑगणन तैयार कर उन पर सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त न कर लिया जाय तथा निर्माण कार्य का ले आउट एवं मानचित्र महानिदेशक पर्यटन अथवा प्रतिनिधि से अनुमोदित न करा लिया जाय।

5— अनुमोदित कार्यो पर व्यय स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जाय तथा अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में कोई अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कार्य निष्पादन के उपरान्त कोई धनराशि बचती है अथवा किन्हीं कारणों से धनराशि का उपयोग सम्भव न हो तो उसे यथाशीघ्र राजकोष में जमा कराये जाने की समय से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

6— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत योजनाओं के लिए पूर्व में कोई धनराशि पर्यटन विभाग अथवा किसी अन्य

श्रोत/विभाग द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी है और स्वीकृत योजनाओं में कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।

7— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत योजनायें पर्यटन के दृष्टिकोण से उपयोगी है और शासन द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों से आच्छादित एवं जिला योजना समिति से अनुमोदित है।

8— योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि मंदिरों/मस्जिदों/दरगाहों के निर्माण/जीर्णोद्धार/मरम्मत का आन्तरिक विकास से सम्बन्धित कोई कार्य अनुमन्य न होगा। धार्मिक स्थलों के केवल वाह्य विकास के ही सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य सम्मिलित किये जायेगें। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अवस्थापना सुविधा आदि के लिए किया जायेगा।

9— निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 व 6 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा जिसमें अनुबन्ध पत्र भरने की तिथि से 6 माह की अवधि से कार्य पूर्ण करने, कार्यो की गुणवत्ता बनाये रखने, अधोमानक सामग्री का उपयोग न करने तथा अन्य आवश्यक शर्तो का उल्लेख किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन किया जाने की दशा में निर्माण एजेन्सी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में जब्त कर लिया जायेगा।

10— निर्माण एजेन्सी द्वारा केवल निर्माण सम्बन्धी कार्य कराये जायेगें तथा उन्हीं कार्यो हेतु अनुमोदित दरों पर सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा। निर्माण कार्य हेतु आकस्मिक व्यय निर्माण कार्यो की लागत पर नियमानुसार दो प्रतिशत अनुमन्य होगा। कार्यदायी संस्था का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं देखले कि विभागीय कार्य करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित कार्य में निगम द्वारा कार्य किये जाने हेतु 5 प्रतिशत की कमी करके आगणन गठित किया गया है। भवन के साज—सज्जा इत्यादि के कय की व्यवस्था विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं की जायेगी। साज—सज्जा इत्यादि के क्रय में स्टोर परचेज नियमों एवं तत्सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11— योजनाओं के दो स्थल ग्राम पंचायत अथवा सरकार के प्रबन्ध में हैं, उनमें विकसित की जा रही परिसम्पत्ति/इन्फ्रास्ट्रक्चर के उचित रख—रखाव हेतु संस्था चिन्ति कर ली जायेगी जिसमा कमिटमेन्ट प्राप्त कर लिया जायेगा। अन्या मामलों में ऐसे रख—रखाव की ज़िम्मेवारी सम्बन्धित निजी संस्था/एजेन्सी द्वारा लेने के सम्बन्ध में कमिटमेन्ट प्राप्त कर लिया जयेगा। निर्माण कार्यो के फलस्वरूप सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के समुचित संचालन/रख रखाव की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि इन मदों पर होने वाले व्यय का भार उत्तर प्रदेश शासन पर न पडे।

12— उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य किया जाना है, सम्बन्धित संस्था/विभाग के पास निर्विवाद रूप से उपलब्ध हो गयी है। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि गैर सरकारी धार्मिक स्थल/पर्यटक स्थल में केवल बाह्य विकास के ही

सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य सम्मिलित किये गये हैं, आन्तरिक विकास के सम्बन्धित कोई कार्य अनुमन्य न होगा।

13— उक्त के अतिरिक्त निम्न शर्तों का भी अनुपालन अनिवार्य है:—

(1) प्रस्तावों हेतु स्वीकृति की धनराशि आगणित लागत से अधिक नहीं होगी।

(2) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावों की लागत में बढ़ोत्तरी न हो और समयानुसार योजनाओं का कियान्वयन सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त योजनाओं हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

(3) योजनाओं के कियान्वयन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं का अनुमोदन जिला अनुश्रवण समिति से प्राप्त है और जनपदवार आवंटित परिव्यय में समायोजित हैं।

14— उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या — 44 के लेखाशीर्षक — 5452 — पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय — आयोजनागत — 80 — सामान्य — 104 — संवर्धन तथा प्रचार— 09 — पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना) — 24 बृहत निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था के नामे डाला जायेगा।

15— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—7—1084/दस—2011 दिनांक 22 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

Manoj 27.9.11

(मनोज कुमार सिंह)

सचिव

संख्या—1532 (1)/41—2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— प्रधान महालेखाकार, सिविल आडिट, उ0प्र0 सत्यनिष्ठा भवन, 15 ए, दयानन्द मार्ग इलाहाबाद।

2— कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

3— वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, पर्यटन भवन लखनऊ।

4— सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिला अधिकारी।

5— निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) उ0प्र0।

6— सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।

7— वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—7/नियोजन अनु0—4

8— प्रबन्ध निदेशक,सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम/समाज कल्याण निर्माण निगम लखनऊ।

9— गार्ड फाइल/वेब अधिकारी (श्री राजाराम)।

आज्ञा से

(वी0के0सिंह)

विशेष सचिव